

स.12015/04/2018- रा.भा.(त.क.)

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

(तकनीकी कक्ष)

एन.डी.सी.सी. II भवन

चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 15.10.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वित्त वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से) से "कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने संबंधी


महोदया,

उपरोक्त विषय पर केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के पत्र संख्या 22011/288/2019/के.हि.प्र.सं./अ.वि.(टं./आ.)/4365, दिनांक 09.10.2019 का संदर्भ लें, जिसमें केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के संचालन में आ रही समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

2. आपको यह सूचित किया जाता है कि "कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" की उपलब्धियां, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की उपलब्धियां मानी जाएंगी और इनके आंकड़े संबन्धित कार्यक्रम समन्वयकों की उपलब्धियों में जोड़े जाएंगे।

3. यह कार्यालय ज्ञापन संयुक्त सचिव (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,



(शिखो राम मीना)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष: 23438143

सेवा में,

निदेशक,

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

सातवाँ तल, पंडित दीनदायल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन),

केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (तकनीकी)

2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव